

**01-July-2017 से GST लागू होने के कारण, NIELIT द्वारा प्रदान किये जाने वाले सभी सेवाओं पर GST 18% होने से राज्य सरकार के अधीन कार्यरत सचिवालय सहायको / पर्यवेक्षकिय संवर्गों एवं समूह "ग" के कर्मियों को कंप्यूटर सक्षमता प्रशिक्षण प्राप्त करने हेतु प्रशिक्षण शुल्क का पुनर्निर्धारण |**

सामान्य प्रशासन विभाग , बिहार , पटना के द्वारा बिहार सरकारी सेवक (संपुष्टि के लिये कंप्यूटर सक्षमता) नियमावली , 2011 आदेश सं०- 1609 दिनांक 24-05-2011 द्वारा अधिसूचित किये जाने के आलोक में सुचना प्रावैधिकी विभाग , बिहार, पटना के द्वारा निर्गत संकल्प संख्या -सह-पठित ज्ञापांक - 1285 दिनांक 08-11-2011 के तहत , राज्य सरकार के अधीन कार्यरत सचिवालय सहायको / पर्यवेक्षकिय संवर्गों एवं समूह "ग" के कर्मियों का कंप्यूटर सक्षमता प्रशिक्षण प्रदान किये जाने हेतु NIELIT (Ex-DOEACC Society) को प्राधिकृत किया गया है तथा प्रशिक्षण प्रदान किये जाने सम्बन्धी कार्य किया जा रहा है |

दिनांक 1-July-2017 से केंद्र सरकार के द्वारा GST लागू किये जाने के कारण NIELIT द्वारा प्रदान किये जाने वाले सभी सेवाओं पर GST 18% किये जाने के फलस्वरूप प्रशिक्षण शुल्क एवं परीक्षा शुल्क का निर्धारण निम्न रूप में किया जाता है -

[क] प्रशिक्षण प्राप्त करने हेतु प्रशिक्षण शुल्क एवं परीक्षा शुल्क ( Training and Examination Fee)

Head	Value(Rs.) as on 30-June-2017	Value(Rs.) as on 01-July-2017
Total :-	5386/-	5526/-
Effective Change :-		140/-

[ख] प्रशिक्षण प्राप्त किये बिना परीक्षा शुल्क ( Examination Fee)

Head	Value(Rs.) as on 30-June-2017	Value(Rs.) as on 01-July-2017
Total :-	1150/-	1180/-
Effective Change :-		30/-

[ग] Conversion Mode - प्रशिक्षण प्राप्त करने हेतु प्रशिक्षण शुल्क

Head	Value(Rs.) as on 30-June-2017	Value(Rs.) as on 01-July-2017
Total :-	4397/-	4512/-
Effective Change :-		115/-

[घ] पुनः परीक्षा शुल्क ( Re-Examination Fee)

Head	Value(Rs.) as on 30-June-2017	Value(Rs.) as on 01-July-2017
Total :-	230/-	236/-
Effective Change :-		06/-

वर्णित स्थिति में दिनांक **01-July-2017** के प्रभाव से उपरोक्त कर्मियों को प्रशिक्षण शुल्क एवं परीक्षा शुल्क नए दर से **Online Payment** या **डिमांड ड्राफ्ट** के रूप में **NIELIT PATNA CENTRE payable at PATNA** में जमा करना होगा |

आदेशानुसार

प्रभारी निदेशक